



नागालैण्ड विश्वविद्यालय

**NAGALAND UNIVERSITY**

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1989, क्रमांक 35 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by an Act of Parliament No.35 of 1989)

मुख्यालय : लुमामी, जिला : जुन्हेबोटो (नागालैण्ड), पिनकोड – 798627

Hqrs : Lumami, Dist. Zunheboto (Nagaland), Pin Code – 798627

सं.नावि/स्थापना-II/विज्ञापन-01/2016 - 821

दिनांक : लुमामी, 23 मई, 2023

**विज्ञापन**  
**सं. 01/2023**

नागालैण्ड विश्वविद्यालय में निम्नलिखित शिक्षण पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को विवरण के लिए नागालैण्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.nagalanduniversity.ac.in](http://www.nagalanduniversity.ac.in) पर जाने के लिए सूचित किया जाता है।

शिक्षण :

**प्रोफेसर (अकादमिक स्तर -14)**

क्र. स.	पद का नाम	विभाग/केंद्र	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण	विशेषज्ञता का क्षेत्र
1	प्रोफेसर	वाणिज्य	01	अनुसूचित जाति	खुला
2	प्रोफेसर	इतिहास और पुरातत्व	02	1 सामान्य	प्राचीन भारतीय इतिहास अथवा मध्यकालीन भारतीय इतिहास
				1 अनुसूचित जनजाति	इतिहास या पुरातत्व में विशेषज्ञता का कोई भी क्षेत्र / कोई भी
3	प्रोफेसर	मनोविज्ञान	01	सामान्य	खुला
4	प्रोफेसर	हिंदी	01	सामान्य	खुला
5	प्रोफेसर	टेनीडी	01	सामान्य	1. टेनीडी भाषाविज्ञान- स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य रचना (टेनीडी को मातृभाषा के रूप में) या 2. टेनीडी साहित्य- कविता/कथा/साहित्यिक सिद्धांत और आलोचना/संस्कृति, पारंपरिक विश्वास प्रणाली (मातृभाषा के रूप में टेनीडी के

					साथ)
6	प्रोफेसर	अध्यापक शिक्षा	01	अनुसूचित जाति	सामाजिक विज्ञान शिक्षा
7	प्रोफेसर	भूगोल विज्ञान	02	1 अन्य पिछड़ा वर्ग	खुला
				1 सामान्य	खुला
8	प्रोफेसर	पादप विज्ञान	01	अन्य पिछड़ा वर्ग	खुला
9	प्रोफेसर	विधि	01	अनुसूचित जनजाति	खुला
10	प्रोफेसर	गणित	01	अनुसूचित जाति	एगोडिक थ्योरी / टोपोलॉजिकल डायनामिक्स / बीजगणित इन स्टोन-केच कॉम्पैक्टिफिकेशन एंड कॉम्बिनेटरिक्स (रैमसे थ्योरी) / बीजगणितीय ज्यामिति / बीजगणितीय टोपोलॉजी / कम्प्यूटेटिव बीजगणित / संख्या सिद्धांत / हार्मोनिक विश्लेषण।
11	प्रोफेसर	सस्य विज्ञान	01	अनुसूचित जाति	खुला
12	प्रोफेसर	कीट विज्ञान	01	अनुसूचित जाति	खुला
13	प्रोफेसर	अनुवांशिकी और पादप प्रजनन	01	सामान्य	आनुवंशिकी और पादप प्रजनन/पादप प्रजनन
14	प्रोफेसर	पादप रोग-विज्ञान	01	सामान्य	विषाणु विज्ञान
15	प्रोफेसर	प्राणी विज्ञान	01	सामान्य	खुला
16	प्रोफेसर	ग्रामीण विकास और योजना	01	सामान्य	खुला
17	प्रोफेसर	मृदा और जल संरक्षण	01	सामान्य	मृदा और जल संरक्षण / मृदा और जल संरक्षण अभियांत्रिकी / मृदा भौतिकी / सिंचाई और जल निकासी अभियांत्रिकी

18	प्रोफेसर	पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन	01	अन्य पिछड़ा वर्ग	पशु पोषाहार
19	प्रोफेसर	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग	01	अनुसूचित जाति	कम्प्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग, वीएलएसएल, नैनोटेक्नोलॉजी, एमईएमएस, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, एटीना डिजाइन, ऑप्टिकल कम्प्युनिकेशंस, सेमीकंडक्टर डिवाइस मॉडलिंग, वायरलेस कम्प्युनिकेशन।
20	प्रोफेसर	जैव-प्रौद्योगिकी	01	सामान्य	पशु जैव प्रौद्योगिकी / संयंत्र और कृषि प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटेशनल जैव प्रौद्योगिकी और जैव सूचना विज्ञान / जैव रासायनिक और जैव प्रक्रिया प्रौद्योगिकी।
21	प्रोफेसर	कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग	01	सामान्य	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट-मशीन लर्निंग/डीप लर्निंग/कंप्यूटर, नेटवर्क/वायरलेस कम्प्युनिकेशन/आईओटी/मोबाइल कम्प्युनिकेशन/इमेज प्रोसेसिंग/सूचना सुरक्षा
22	प्रोफेसर	कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	01	सामान्य	कृषि अभियांत्रिकी की मुख्य शाखाओं के लिए किसी भी विशेषज्ञता के लिए खुला
23	प्रोफेसर	राजनीति विज्ञान	01	सामान्य	खुला
24	प्रोफेसर	भाषा विज्ञान	01	सामान्य	नागा भाषाओं की संरचना

### एसोसिएट प्रोफेसर (अकादमिक स्तर -13 ए)

क्र. सं.	पद का नाम	विभाग/केंद्र	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण	विशेषज्ञता का क्षेत्र
1	एसोसिएट प्रोफेसर	भू-विज्ञान	01	अनुसूचित जाति	खुला
2	एसोसिएट प्रोफेसर	अनुवांशिकी और पादप प्रजनन	01	अनुसूचित जाति	आनुवांशिकी और पादप प्रजनन/ पादप प्रजनन
3	एसोसिएट प्रोफेसर	पादप रोग-विज्ञान	01	अनुसूचित जाति	जीवाणुतत्व
4	एसोसिएट प्रोफेसर	कृषि अभियांत्रिकी	01	सामान्य	गणित
5	एसोसिएट प्रोफेसर	वानिकी	01	अनुसूचित जाति	लकड़ी विज्ञान/वन संसाधन प्रबंधन और अर्थशास्त्र
6	एसोसिएट	ग्रामीण विकास	01	सामान्य	संगठनात्मक प्रबंधन/कृषि विस्तार/ग्रामीण

	प्रोफेसर	और योजना			प्रबंधन
7	एसोसिएट प्रोफेसर	विधि	02	1 अनुसूचित जाति	न्यायिक नैतिकता, अनुसंधान के तरीके / तुलनात्मक न्यायशास्त्र
				1 सामान्य	संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून / व्यापारिक कानून
8	एसोसिएट प्रोफेसर	कीट विज्ञान	02	सामान्य	खुला
9	एसोसिएट प्रोफेसर	इतिहास और पुरातत्व	01	अन्य पिछड़ा वर्ग	उत्तर पूर्व भारत / भारत का सामान्य इतिहास
10	एसोसिएट प्रोफेसर	कृषि रसायन विज्ञान और मृदा विज्ञान	01	सामान्य	खुला
11	एसोसिएट प्रोफेसर	समाजशास्त्र	01	सामान्य	खुला
12	एसोसिएट प्रोफेसर	मृदा एवं जल संरक्षण	01	अनुसूचित जाति	मृदा संरक्षण, मृदा और जल संरक्षण, मृदा और जल संरक्षण अभियांत्रिकी, मृदा विज्ञान/मृदा भौतिकी (मृदा और जल संरक्षण)
13	एसोसिएट प्रोफेसर (लियन रिक्ति)	शिक्षा	01	अन्य पिछड़ा वर्ग	शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शैक्षिक अनुसंधान की पद्धति, पर्यावरण शिक्षा

### सहायक प्रोफेसर (अकादमिक स्तर - 10)

क्र. स.	पद का नाम	विभाग/केंद्र	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण	विशेषज्ञता का क्षेत्र
1	सहायक प्रोफेसर	सस्य विज्ञान	01	सामान्य	खरपतवार प्रबंधन / जल प्रबंधन
2	सहायक प्रोफेसर	जैव विविधता केंद्र	01	सामान्य	जैव विविधता अध्ययन/जैव विविधता संरक्षण
3	सहायक प्रोफेसर	वाणिज्य	01	सामान्य	एम. कॉम. कंप्यूटर अनुप्रयोग में प्रवीणता के साथ
4	सहायक प्रोफेसर	अध्यापक शिक्षा	01	अनुसूचित जाति	गणित शिक्षा का शिक्षाशास्त्र
5	सहायक प्रोफेसर	ग्रामीण विकास और योजना	02	1 सामान्य	ग्रामीण विकास एवं योजना/कृषि विस्तार
				1 अन्य पिछड़ा वर्ग	ग्रामीण विकास एवं योजना/कृषि विस्तार
6	सहायक प्रोफेसर	आनुवंशिकी और पादप प्रजनन	01	अन्य पिछड़ा वर्ग	आनुवंशिकी और पादप प्रजनन/ पादप प्रजनन

				वर्ग	
7	सहायक प्रोफेसर	जीव विज्ञान	01	अन्य पिछड़ा वर्ग	अंतःस्त्राविका और प्रजनन फिजियोलॉजी / जलीय जीव विज्ञान
8	सहायक प्रोफेसर	पर्यावरण विज्ञान	01	सामान्य	खुला
9	सहायक प्रोफेसर	भौतिकी विज्ञान	01	सामान्य	उच्च ऊर्जा भौतिकी / संघनित पदार्थ भौतिकी
10	सहायक प्रोफेसर	कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	01	अनुसूचित जाति	मृदा एवं जल अभियांत्रिकी

प्रयुक्त संक्षिप्त नाम: यूआर-अनारक्षित, एससी-अनुसूचित जाति, एसटी-अनुसूचित जनजाति, ओबीसी- अन्य पिछड़ा वर्ग।

### पात्रता मापदंड

शैक्षणिक पदों के लिए :

1. विभिन्न शिक्षण पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्रकाशन आदि समय-समय पर संशोधित यूजीसी विनियम **2018/एनसीटीई विनियम 2014/एआईसीटीई विनियम/आईसीएआर दिशानिर्देश** (जैसा भी मामला हो) द्वारा निर्धारित लागू होंगे।
2. "पत्रिकाओं की यूजीसी स्वीकृत सूची" को नई "गुणवत्ता पत्रिकाओं की यूजीसी-केयर संदर्भ सूची" से बदल दिया गया है और 14.06.2019 से प्रभावी होने पर, जहां कहीं भी लागू हो, उस पर संभावित रूप से विचार किया जाएगा। इसके अलावा, 14.06.2019 को या उसके बाद शोध प्रकाशन "गुणवत्ता पत्रिकाओं की यूजीसी-केयर संदर्भ सूची" में शामिल पत्रिकाओं में होंगे, जहां भी लागू हो।
3. उम्मीदवारों के लिए सामान्य सूचना/निर्देश

1.	सभी पदों के लिए आवेदन शुल्क <b>₹1000/-</b> (सामान्य/ओबीसी श्रेणी) और <b>₹500/-</b> (एससी/एसटी) है। एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
2.	उम्मीदवारों द्वारा एम.फिल और/या पीएचडी डिग्री हासिल करने में लगने वाले समय को शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए दावा किए जाने वाले शिक्षण/अनुसंधान अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा।
3.	उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के समर्थन में मैट्रिक के बाद से अपने मूल प्रमाणपत्रों और मार्कशीट की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करनी चाहिए।
4.	योग्यता, अनुभव, आयु सीमा आदि के संबंध में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को ही ध्यान में रखा जाएगा।
5.	किसी भी अंतरिम पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा और किसी भी रूप में सिफारिश करना अयोग्यता होगी।
6.	एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार के मामले में प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन पत्र और शुल्क आवश्यक है।
7.	जो व्यक्ति पहले से ही राज्य/केंद्र सरकार या किसी अन्य संगठन के तहत सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना चाहिए। तथापि, अग्रिम प्रति प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसे मामलों में नियोक्ता से " <b>अनापत्ति प्रमाण पत्र</b> " और " <b>सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र</b> " साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
8.	विश्वविद्यालय के पास योग्यता और अनुभव के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार होगा, जो न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम से अधिक या नियमों के अनुसार किसी भी अन्य शर्तों के आधार

	पर होगा। प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या में से उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
9.	विश्वविद्यालय भर्ती/सेवा की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए पूर्ववृत्त या दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए दस्तावेज नकली हैं या उम्मीदवारों के पास एक गुप्त पूर्ववृत्त / पृष्ठभूमि है जिसके लिए उन्हें किसी भी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है और उक्त जानकारी को छुपाया गया है, तो उनकी सेवा उत्तरदायी होगी समाप्त किया जाना है।
10.	भर्ती के किसी भी चरण में गलत/झूठी जानकारों प्रस्तुत करने का पता चलने पर, विश्वविद्यालय उम्मीदवारों को को गई किसी भी नियुक्ति को वापस लेने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11.	चयन की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद/अस्पष्टता के मामले में, विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
12.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग (शारीरिक और दृष्टिहीन विकलांग) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (नॉन क्रीमी लेयर) श्रेणियों के लिए पात्रता के उद्देश्य से स्नातक और परास्नातक स्तर पर 5% की छूट प्रदान की जा सकती है और शिक्षण पदों पर सीधी भर्ती के दौरान आरक्षित श्रेणी के पद के लिए अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड का आकलन करने के लिए। 55% अंकों की पात्रता अंक (या जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है वहां एक बिंदु पैमाने में समकक्ष ग्रेड) और ऊपर उल्लिखित श्रेणियों के लिए 5% की छूट अनुमेय है, केवल योग्यता अंकों के आधार पर बिना किसी अनुग्रह चिह्न प्रक्रिया को शामिल किया जायेगा।
13.	आरक्षण के तहत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और अपने आवेदन में "आरक्षित श्रेणी" के रूप में स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए।
14.	प्रासंगिक दिव्यंगता के कम से कम 40% से पीड़ित व्यक्ति अकेले दिव्यांग व्यक्ति के लिए आरक्षण के लाभ के लिए पात्र होंगे।
15.	ओबीसी आरक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को वैध (अप टू डेट) नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
16.	विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए पदों की संख्या को बढ़ाने/घटाने और आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, स्क्रीनिंग कमेटी/चयन समिति/कार्यकारी परिषद का निर्णय सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।
17.	चयन समिति उम्मीदवारों के प्रदर्शन के मूल्यांकन का अपना तरीका तय कर सकती है।
18.	वेतन और भत्ते, छुट्टी, पेंशन और भविष्य निधि के संबंध में यूजीसी/भारत सरकार के नियमों का पालन समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अधीन किया जाएगा। नए प्रवेशकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) द्वारा कवर किया जाएगा।
19.	नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों को शामिल होने की तारीख से कम से कम 5 (पांच) वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता करना होगा।
20.	जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, उसके आवेदन के संबंधित कॉलम में समान प्रतिशत का उल्लेख किया जाना चाहिए।
21.	भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी शुद्धिपत्र / परिवर्तन / अद्यतन केवल नागालैंड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट <a href="http://www.nagalanduniversity.ac.in">www.nagalanduniversity.ac.in</a> पर रखा जाएगा।
22.	<b>ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून 2023 (रात 11:59 बजे तक, भारतीय समयानुसार) है</b>

**डॉ. अबेमो**  
कुलसचिव